

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01122021-231522
SG-DL-E-01122021-231522

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2021/अग्रहायण 10, 1943 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 288
No. 361] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021/AGRAHAYANA 10, 1943 [N. C. T. D. No. 288

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग

(राज्य संसाधन प्रभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2021

सं.फा. 10/45/2021-22/एस.आर.डी./वित्त/3221-3231.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल का मत है कि आम जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. चौथी अनुसूची में, क्रम सं. 12 से संबंधित मौजूदा पंक्ति के लिए, निम्नलिखित पंक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“

12	पेट्रोल (मोटर स्प्रीट)	रुपये में 19.40 पैसे
----	------------------------	----------------------

”

यह इस संबंध में और इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जारी किया गया है।

यह अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख के अगले दिन से प्रभावी होगी।

नोट:— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की चौथी अनुसूची के क्रम सं. 12 में अंतिम बार अधिसूचना संख्या सं.फा. 03(01)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/149 दिनांक: 04/05/2020 के तहत संशोधन किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रिंस धवन, विशेष सचिव (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT

(State Resources Division)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2021

No. F.10/45/2021-22/SRD/Fin/3221-3231.—Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by section 103 of Delhi Value Added Tax, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Fourth schedule appended to the said Act namely :-

AMENDMENT

1. In the Fourth Schedule, for the existing rows pertaining to serial no 12, the following row shall be substituted, namely:-

“

12.	Petrol (Motor Spirit)	19.40 paise in the rupee
-----	-----------------------	--------------------------

”

This is issued in supersession of the earlier notifications issued in this regard and on this behalf.

This notification shall come into force with effect from the day immediately following the date of its issuance.

Note:- The serial No. 12 of the Fourth Schedule of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), last amended vide Notification No. F.3(1)/Fin.(Rev-I)/2019 -20/DS-VI/149 Dated 04/05/2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PRINCE DHAWAN, Spl. Secy. (Finance)